संख्या-1/2016/1153 एस0सी0/18-2-15-87/2015

प्रेषक,

प्रमोद कुमार उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0,
लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 28 जनवरी, 2016

विषय- सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल घोसी, जनपद-मऊ की आसवनी में एथेनाल संयन्त्र की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0-304 यू0पी0एफ0/परि0वि0/एथेनाल (घोसी) दिनांक 09-10-15 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से घोसी आसवनी जनपद-मऊ में एथेनाल संयन्त्र की स्थापना कराए जाने हेतु की गई घोषणा के सम्बन्ध में एथेनाल प्लान्ट की स्थापना से सम्बन्धित परियोजना पर नियोजन विभाग से अनुमोदन प्राप्त कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत मामले में प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/नियोजन विभाग द्वारा किसान सहकारी चीनी मिल घोसी जनपद मऊ में 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल प्लान्ट (ई0एन0ए0) की स्थापना सम्बन्धी प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन, (प्रस्तावित लागत रू0 425.00 लाख) को पी0आई0बी0 की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11-12-15 में प्रस्तुत किया गया। विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त प्रायोजना की प्रस्तावित लागत रू0 425.00 लाख के सापेक्ष रू0 396.55 लाख की लागत पर निम्न शर्तो के अधीन संस्तुति प्रदान की गई है:-

(1) प्रशासकीय विभाग प्रायोजना पर निर्धारित समयावधि में समस्त वैधानिक एवं प्रशासकीय औपचारिकताएँ पूर्ण कर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर पारदर्शी माध्यम से शीघ्रता से प्लान्ट की स्थापना से सम्बन्धित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।

(2) प्रायोजना के सम्बन्ध में सभी आवश्यक क्लीयरेन्स प्राप्त कर लिये जाएँ।

(3) एथेनाल प्लान्ट की स्थापना से पूर्व प्रायोजनान्तर्गत उत्पादन हेतु प्रस्तावित एथेनाल का कम से कम आगामी 2-3 वर्षो की मांग सुनिश्चित कर ली जाए।

3- इस सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना है कि प्रश्नगत मामले में जारी होने वाला टेण्डर व अनुबन्ध का प्रारूप शासन स्तर से विधीक्षित कराने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार परियोजना की स्थापना हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या-1/2016/1153(1)एस0सी0/18-2-15-तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्यमंत्री घोषणा प्रकोष्ठ को उनके घोषणा विषयक पत्र सं0-मुमस/13/चौतीस/घोषणा/2016 दिनांक 11-01-16 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in